UPET110012602022

न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर एटा

उपस्थितः विकास कुमार वर्मा, **(J.O.Code. 2225)** उ०प्र० न्यायिक सेवा

दाण्डिकवाद संख्या–61/2024

राज्य––––बनाम–––––श्रीकृष्ण आदि

–––प्रति––––

1–श्रीकृष्ण पुत्र बुद्ध सैन
2–दिनेश पुत्र श्रीकृष्ण
3–रितिक उर्फ रितकीरोशन पुत्र श्रीकृष्ण
समस्त निवासीगण–नगला मितन थाना जलेसर जिला एटा।

–––अभियुक्तगण––––

अपराध सं०–243/2023
अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 452
भा०दं०सा०
थाना–जलेसर जिला एटा।

–निर्णय–

अभियुक्तगण श्रीकृष्ण, दिनेश व रितिक उर्फ रितकीरोशन के विरूद्ध थाना जलेसर जिला एटा के द्वारा अपराध संख्या–243/2023 अंतर्गत धारा–323, 504, 506, 452 भा०दं०सा० के प्रकरण में विचारण हेतु आरोपपत्र इस न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03–07–2023 समय साढे आठ बजे स्थान मकान वादी ग्राम नगला मितन थाना जलेसर जिला एटा में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसे लाठी डण्डों से मारा पीटा व गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देकर साशय अपमानित किया।

वादी मुकदमा के तहरीर के आधार पर थाना हाजा अ०स० संख्या–243/2023 धारा–323, 504, 506, 452 भा०दं०सा०, थाना जलेसर जिला एटा के मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाह का बयान अंकित किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। विवेचना पूर्ण करते हुए विवेचक द्वारा अ०स०–243/2023 अंतर्गत धारा–323, 504, 506, 452 भा०दं०सा० में अभियुक्तगण श्रीकृष्ण, दिनेश व रितिक उर्फ रितकीरोशन के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और परीक्षण आरम्भ किया गया।

अभियुक्तगण को विचारण हेतु न्यायालय द्वारा आहूत किया गया, आहूत किये जाने पर अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये तथा उसने अपनी जमानत करायी। उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं। तदोपरांत दिनांक १०–०६–२०२५ को अभियुक्तगण श्रीकृष्ण, दिनेश व रितिक उर्फ रितकीरोशन के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, 452 भा०दं०सा० के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की। अतः अभियुक्तगण का उक्त आरोपों के सन्दर्भ में न्यायालय के द्वारा विचारण किया गया।

अभियुक्तगण का दिनाक २५–03–2026 को बयान अंतर्गत धारा–313 द०स० अकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू–01 व पी०डब्लू–02** के साक्ष्य के संबंध में गलत है जिरह में सच्चाई गवाह ने बतायी है। मुकदमा लोगों के उकसावे में आकर चलना बताया गया है व सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होता है। तदुनसार प्रस्तुत प्रकरण में उसे आरोपित आरोप से दोषसिद्ध करने का अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। तदनुसार अभियुक्तगण को आरोपित आरोप के अंतर्गत दोषसिद्ध करने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह केस लेकर आया है कि क्या दिनांक ०३–०७–२०२३ समय साढे आठ बजे स्थान मकान वादी ग्राम नगला मितन थाना जलेसर जिला एटा में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसे लाठी डण्डों से मारा पीटा व गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देकर साशय अपमानित किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा इसी प्रयोजनार्थ की जायेगी।

<u>–समीक्षा एवं निष्कर्ष–</u>

अभियोजन पक्ष के द्वारा अपने उक्त कथानकों को साबित करने हेतु साक्षी **पी०डब्लू–01** के रूप में दलवीर सिंह व **पी०डब्लू–02** रामपाल को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य कोई मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

साक्षी **पी०डब्लू–01** दलवीर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक 02.07.2023 को खेत के लिए बाजरा का बीज लेने के लिए बेरनी जा रहा

था। तब गाँव के श्रीकृष्ण दिनेश रितिक उर्फ रितिक रोशन राशते में मिले। मैंने मना किया तो सभी लोगों ने एक राय होकर मेरे दोनों हाथों की कलाई दरांती से काट दी तथा लाठी डंडों से पिटाई की। सर पर डंडा मारा जिससे काफी चोटे आई। जिसकी डॉक्टरी सीएचसी जलेसर में कराया था। मुझे जिला अस्पताल के रेफर किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती रहा। दोनों हाथों में टाँके लगे थे। दिनाँक 03.07.2023 को समय रात्री साढ़े आठ बजे में अपने घर खाना खा रहा था। तभी उपरोक्त तीनों लोग एक राय होकर घर में घुस आए। गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। मना करने पर घर के अन्दर लाठी डंडे व सरिया से मारपीट की। मेरी चीख–पुकार पर अजब सिंह रामपाल मौके पर आए जिन्होंने मुझे बचाया तो उपरोक्त लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए कहे कि फैसला कर लेना वरना तुझे व तेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिए थे। मेरे मुकदमा लिखाए जाने पर शांति भंग में चालान कर पाबंद किया गया था। घटना की सूचना मेरे द्वारा एक तहरीर टाईप करवाकर थाने पर दिया था। तब मेरा मुकदमा लिखा गया। तहरीर कागज संख्या 5 अ को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान कीजिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। अभियुक्तगणों के मारने से मेरे दोनों कलाई कट गई थी। मेरे सर में चोंटें आई थी। शरीर के अन्य भागों पर भी चोंटे आई थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैं उक्त मुकदमें का लेखक हूँ। मैंने अपना मुकदमा बोल बोल कर स्वयं लिखाया था। किसी वकील से सलाह नहीं ली थी। मैं बी०एस०सी तक पढ़ा लिखा हूँ। मैं इस समय अपने गाँव नंगला मितन में ही रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार गाँव में रहता है लेकिन तीन भाई मेरे बाहर रहते है। रोजगार के उद्देश्य थे। मैं राष्ट्रीय साख्यिक कार्यालय में संविदा पर कार्यरत हूँ। मेरा कार्यालय आगरा में हैं। मैं अपने गाँव प्रतिदिन कार्यालय आता जाता हूँ। मेरा कार्य फील्ड का है। मैं सन 2017 से इस कार्यालय में कार्यरत हूँ।

साक्षी पी०डब्लू 2 रामपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है किदिनाँक 02.07.2023 को अभियुक्तगण श्रीकृष्ण, दिनेश व रितिक उर्फ रिक्की रोशन रात के साढे आँठ बजे दलवीर को घर में घुसकर मेरे सामने गाली व मारपीट कर जान से मारने की धमकी नहीं दिए थे। मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई थी। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन को जिरह का अवसर दिया गया।

उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है गवाह को 161 ५०प्र०स० का बयान पढ़कर सुनाया व समझाया गया। गवाह ने कहा कि दरोगा जी को मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था। कैसे लिखा गया कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि अभि०गण ने मेरे सामने दलवीर को मारपीट कर चोंट पहुँचाई व घर में घुसकर गाली व जान से मारने की धमकी दी। यह कहना सही है कि फैसला हो गया है। यह कहना गलत है कि फैसला हो जाने के कारण बयान बदल रहा हूँ।

अभियोजन पक्षी की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन कथानक पर बल देते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा घटना कारित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट इसी संबंध में लिखायी गयी है। आरोपपत्र से घटना का घटित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रतिरक्षा में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में वास्तविकता यह है कि उपरोक्त घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित नहीं की गयी है। रजिश में यह मुकदमा लिखाया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। गवाह/वादी मुकदमा द्वारा भी घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन को यह साबित करना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथाकथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी।

इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित कराने के लिए उपरोक्त साक्षियों को परीक्षित कराया गया। साक्षी पी०डब्लू–01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैं उक्त मुकदमें का लेखक हूँ। मैंने अपना मुकदमा बोल बोल कर स्वयं लिखाया था। किसी वकील से सलाह नहीं ली थी। मैं बी०एस०सी तक पढ़ा लिखा हूँ। मैं इस समय अपने गाँव नंगला मितन में ही रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार गाँव में रहता है लेकिन तीन भाई मेरे बाहर रहते है। रोजगार के उद्देश्य थे। मैं राष्ट्रीय साख्यिक कार्यालय में संविदा पर कार्यरत हूँ। मेरा कार्यालय आगरा में हैं। मैं अपने गाँव प्रतिदिन कार्यालय आता जाता हूँ। मेरा कार्य फील्ड का है। मैं सन 2017 से इस कार्यालय में कार्यरत हूँ। और साक्षी पी०डब्लू–02 को भी मुख्य परीक्षा के स्तर पर ही पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है, बल्कि घटना के विपरीत एवं विरोधाभाषी बयान किया है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक आपराधिक आरोप साबित नहीं होता है, तब तक अभियुक्तगण के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से सदंहे से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्तगण पर नहीं होता है कि वे अपनी निर्दोषिता साबित करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था है कि **Muneshwar Singh Vs. State OF U.P.–Reference No.9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court)**–Criminal Law Jurisprudence Settled law Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled law of criminal jurisprudence is taht it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. <u>The criminal jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot–free but not a single innocent person should be punished.</u> The present case against the accused– appellant seems to be largely built on

suspicion only. The element of doubt very much persists. Therefore, on over all consideration of the evidence and attending circumstances, we would allow the appeal.

इस प्रकार उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित करना नहीं बताया है, जिससे इस साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

जहां तक अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रलेखीय साक्ष्य का प्रश्न है तो उनके निष्पादन की सत्यता को औपचारिक रूप से अभियुक्तगण की ओर से धारा–294 द०प्र०स० के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार किया गया है और इन प्रलेखों के निष्पादन पर उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है किन्तु प्रस्तुत मामले में मौखिक एवं तात्विक साक्ष्य के अभाव में ये प्रलेख भी अभियोजन कथन का सम्पोषण नहीं करते हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला प्रस्तुत किये गये तथ्यों के साक्षीगण से साबित करना होता है। मात्र अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार कर लेने से अभियुक्तगण को दोषी नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण श्रीकृष्ण, दिनेश व रितिक उर्फ रितकीरोशन को धारा–323, 504, 506, 452 भा०दं०सा० के प्रकरण में संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

अभियुक्तगण श्रीकृष्ण, दिनेश व रितिक उर्फ रितकीरोशन को दाण्डिकवाद संख्या–61/2024, मु०अ०सं०–243/2023, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 452 भा०दं०सा० थाना जलेसर, जिला एटा के मामले में उक्त आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उक्त प्रकरण में जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण, प्रत्येक धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु०–20,000/–(बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक–एक प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः **30.03.2026**

(विकास कुमार वर्मा),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनॉकः **30.03.2026**

(विकास कुमार वर्मा),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा